

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी फैजाबाद / गाजियाबाद / लखनऊ / महाराजगंज / पीलीभीत एवं बलिया।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2012

विषय : वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024 / 1-10-2010-14(63) / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-7 / 2011-एन0डी0एम0-1 दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड लाइन के आईटम नं0 - 3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothing medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या-2690 / 1-10-12(34) / 03टी0सी0-1 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रति तहसील कम्बल आदि हेतु रू0 5,00,000 / - व अलाव हेतु रू0 50,000 / - की धनराशि स्वीकृत करते हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में शीतलहरी को दृष्टिगत रखते हुये राहत कार्यों हेतु अस्थाई रैन बसेरा / राहत कैम्प, अलाव जलाने एवं कम्बल आदि हेतु आप द्वारा की गयी मांग के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अधीन कुल धनराशि रू0 33,00,000 / - (रू0 तैंतीस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद	मद	जिलाधिकारी का संदर्भ	स्वीकृत धनराशि रू0 में
1	फैजाबाद	अलाव	578 / - सीआरए13(राहत	3,00,000 / -

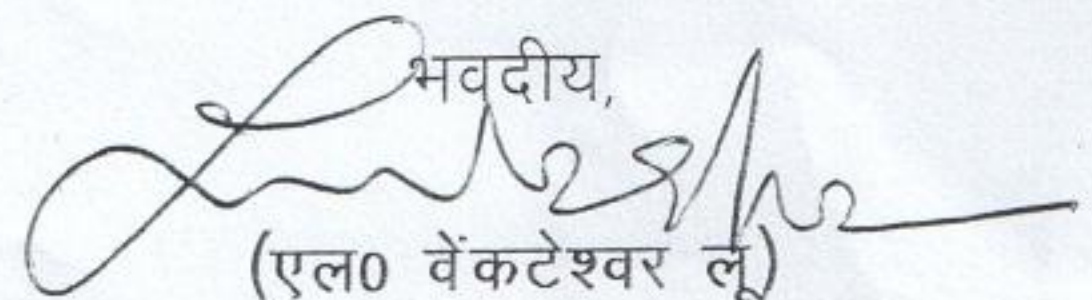
			12-13) दिनांक 28.12.2012	
2	गाजियाबाद	कम्बल आदि	1234 / राहत लिपिक-दै0आ0 / 2012 दिनांक 24.12.2012	10,00,000 / -
3	लखनऊ	अस्थाई रैन बसेरा / अला व आदि	173 / सी0आर0ए0 / आपदा / शीतलहरी, दिनांक 26.12. 2012	7,00,000 / -
4	महराजगंज	अलाव	1044 / आपदा सहायक / 2012-13, दिनांक 27.12.2012	2,00,000 / -
5	पीलीभीत	शीतलहरी से उत्पन्न समस्या हेतु।	443 / दै0आ0लि0-12, दिनांक 28.12.2012	3,00,000 / -
6	बलिया	अलाव व कम्बल आदि	369 / दैवी आपदा, दिनांक 28.12.2012	8,00,000 / -
		कुल योग		33,00,000 / -

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्ही मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापि न किया जाये।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि अवशेष बचती है तो उसे शासन को वापस की जायेगी।

6- शासनादेश संख्या-2690 / 1-10-12(34) / 03टी0सी0-1 दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

 (एल0 वेंकटेश्वर लू)
 सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2375 (1) / 1-10-12(34) / 03टी0सी0-2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।

- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जिले के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 9- निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0वेंकटेश्वरलू)

सचिव एवं राहत आयुक्त।